Annexure – X

संख्या : 757 / मु.स / सूचना / 2005
दिनांक : सितम्बर 08, 2005

सचिव, सूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (Right to Informaion Act, 2005) के कियान्वयन के संबंध में सभी विभागों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है, जिससे अधिनियम का कियान्वयन समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से हो सके।

2. इससे पूर्व भी मेरे द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि सूचना के अधिकार के सफल कियान्वयन के लिये जो कम से कम व्ययसाध्य हो, यह आवश्यक होगा कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये निम्न व्यवस्थाऐं प्रभावी एवं तात्कालिक रूप से कर ली जायें :

2.1. सूचना के अधिकार के कियान्वयन के लिये डेडीकेटेड (Dedicated) टास्कफोर्स जिसमें 3–4 अनुभवी व्यक्ति केवल अधिनियम के कियान्वयन के लिये ही उत्तरदायी हों, और जो कियान्वयन के विभिन्न चरणों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी हों, तथा

2.2. प्रत्येक जनपद में एक सुविधासम्पन्न मीडिया कम इन्फोरमेशन सेन्टर तथा राज्य मुख्यालय पर विभिन्न विभागों को शाखा के रूप में गठित करके उनके लिये भी मीडिया कम राइट टू इन्फोरमेशन सेन्टर का गठन।

3. 13 जनपदों में मीडिया कम राइट टू इन्फोरमेशन के लिये एक अलग साधन सम्पन्न कक्ष होगा, जिसमें सूचना का अधिकार के कियान्वयन को सम्भव बनाने के लिये समस्त भौतिक आवश्यकतायें उपलब्ध करायी जायेंगी, जैसे बैठक करने का स्थान, पत्रावलियो को प्राप्त करने और उनको लौटाने की पर्याप्त व्यवस्था, जीरॉक्सिंग, आई.टी. कनेक्टिविटी (ई मेल) इत्यादि. इस केन्द्र के प्रभारी स्वयं जिला सूचना अधिकारी होंगे। उपरोक्त केन्द्र में समय समय पर जिलों के संबंधित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों की बैठकें भी आयोजित की जायेंगी। संक्षेप में मीडिया कम राइट टू इन्फोरमेशन अधिनियम के कियान्वयन के लिये जो कार्यवाहियां प्रारम्भ में सम्पन्न हो सकेंगी, कालान्तर में इन्हीं सुविधाओं को तहसील और विकास खण्ड स्तर पर भी कियान्वित करने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें (भौतिक और मानव संसाधन) उपलब्ध करायी जायेगी। सभी जनपदों में अब एन.आई.सी. सेन्टर उपलब्ध हैं और अधिकांश विकास खण्ड आप्टीकल फाइबर से भी समबद्ध हो चुके हैं। अतः ईमेल और जीराक्सिंग की सुविधा भी इस केन्द्र के माध्यम से जिले और जिले के निचले स्तर पर उपलब्ध करायी जानी है। जनपद स्तर पर उक्त मीडिया सेन्टर की परिकल्पनों जिसके उपरोक्त लक्ष्य हों, को समयबद्ध रूप से कियान्वित किया जाना आवश्यक है और इसके लिये जो अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, उसकी मांग वित्त विभाग से करके इसे तत्काल कियान्वित करने की व्यवस्था की जाये।

4. राज्य मुख्यालय स्तर पर सभी विभागों को निम्न शाखाओं में व्यवस्थित कर दिया जाय :

4.1. अवस्थापना आयुक्त शाखा (16 विभाग, पहले से ही गठित)।

4.2. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा (15 विभाग, पहले से ही गठित)

4.3. समाज कल्याण आयुक्त शाखा (7 विभाग, पहले से ही गठित)

4.4. गृह विभाग (संबंधित विभागों को शाखा के रूप में व्यवस्थित किया जाना है)

4.5. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (संबंधित विभागों को शाखा के रूप में गठित किया जाना है)

4.6. वित्त एवं आर्थिक सेवायें (संबंधित विभागों को शाखा के रूप में गठित किया जाना है ।

4.7. मुख्य सचिव शाखा (उपरोक्त शाखाओं के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग)

5. इस प्रकार से राज्य स्तर पर सभी विभागों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन के लिये उपरोक्त 7 शाखाओं में पुनर्गठित करते हुये प्रत्येक शाखा को एक मीडिया कम राइट टू इन्फरेमेशन सेन्टर की सुविधा उपलब्ध करनी होगी। इन 7 शाखाओं के 7 मीडिया सेन्टरों के लिये मानव संसाधन शाखा प्रभारी द्वारा विभिन्न अधीनस्थ विभागों के द्वारा प्रख्यापित लोक सूचना अधिकारियों में से ही रोटेशन में की जानी होगी और उनको इसके लिये सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी उत्तरदायित्व देना होगा।

6. 13 जनपदों और 7 शाखाओं के कुल 20 मीडिया कम इन्फोरमेशन सेन्टर को 2 भागों में व्यवस्थित करना होगाः

   6.1. मीडिया सेन्टर के लिये केन्द्र द्वारा प्लानिंग और कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों के आवंटन के आदेश।

   6.2. माडल मीडिया सेन्टर की स्थापना, जो हर प्रकार की संचार, जीराक्सिंग सुविधा से युक्त हो। इसके साथ ही पत्रावलियां प्राप्त करने इनकी सुरक्षा और वापसी के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था रहे। जैसे अलमारियां, रैक्स इत्यादि।

7. राज्य स्तर के शाखाओं में बंटे विभागों के साथ साथ शाखा स्तर पर उपलब्ध मीडिया कम इन्फोरमेशन सेन्टर के माध्यम से अधीनस्थ निदेशालयों परिषदों और संगठनों के बीच में भी आवश्यक ताल मेल, लोक सूचना अधिकारियों के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में प्रख्यापन, जिसे विभिन्न कार्यों को भी राईट टू इन्फोरमेशन एक्ट के लिये बनी टास्क फोर्स को दिन प्रतिदिन के अनुश्रवण के आधार पर अभी से पूरा किया जाना आवश्यक है।

8. टास्क फोर्स के द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाओं को अगले 2 सप्ताह में इस प्रकार से कियान्वित करने के लिये प्रयास किये जायें, जिससे आगामी 5 अक्टूबर को प्रारम्भ होन वाली विधान सभा सत्र में भी इसका ट्रायल हो सके। चूंकि विधान सभा प्रश्नों और अन्य कार्यों में भी मुख्य रूप से इसी प्रकार की गतिविधी, अर्थात सूचना का आदान प्रदान ही प्रमुख गतिविधि है। उपरोक्त मीडिया केन्द्रों के सकिय हो जाने से शाखाओं विभागों और जनपदों मे कोई नये पद सृजित न करने के विद्यमान पदों और उपलब्ध संसाधनों का ही उपयोग होना है। केवल मिडीया सेन्टरों में जिनकी संख्या 20 होंगी उनमें जो लोक सूचना अधिकारी और अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जानी है या उनके संचालन के लिये जो व्यवस्थायें की जानी हैं उनके लिये आवश्यक संसाधन वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राइट टू इन्फोरमेशन एक्ट के केन्द्र में सूचना विभाग के ही अधिकारी मुख्यतः उत्तरदायी होंगे। अतः जनपदों में सूचना एवं जन सम्पर्क के पदों की उपलब्धता सहायक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों की उपलब्धता, विद्यमान रिक्तियों को तत्काल रूप से भरने की कार्यवाही तथा राईट टू इन्फोरमेशन के टास्कफोर्स में भी पर्याप्त संख्या में अनुभवी अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती को युद्ध स्तर पर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

10. मुझे प्रसन्नता होगी, यदि इन बिन्दुओं पर सूचना सचिव अपने स्तर पर दैनिक अनुश्रवण की कार्यवाही करते हुये और सूचना निदेशालय को भी दैनिक अनुश्रवण के माध्यम से कार्यवाही करने के लिये निर्देश देना चाहेंगे। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस संबंध में मुझे दैनिक प्रगति से दूरभाष अथवा अन्य माध्यम से अवगत कराया जा सके।

(आर.एस.टोलिया)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी को मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. सूचना मंत्री जी को सूचना मंत्री जी के अवलोकनार्थ।